



92/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3917 / 05 / 76 / एक / 2017-18
सेवा में,

दिनांक : 09 जनवरी 2018

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निम्न परियोजनाओं की द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	508.336

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किस्त)
1	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 04 बैकुण्ठपुर में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से रामसकल चौधरी के मकान व श्री सतोष पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.567
2	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 04 बैकुण्ठपुर में गोरखपुर पी०डब्ल्यू०डी० रोड से श्री टिनगिना खरवार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.050
3	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 04 बैकुण्ठपुर में काशीराम आवास से श्री साधुसरन दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	27.016
4	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० महराजगंज	वार्ड नं० 04 बैकुण्ठपुर में सुरेश पटेल के मकान से जीतू यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.567
5	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० घुघली	वार्ड नं० 10 में गुड्डू के घर से राम अवध के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.051
6	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० घुघली	वार्ड नं० 01 मोहल्ला चैनपुर में रामदरस के घर से स्वामीनाथ के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.718
7	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० घुघली	वार्ड नं० 01 मोहल्ला चैनपुर में कप्तानगंज मार्ग के पूरब तरफ जमार्धन मिश्रा के घर से तिवारी चौक तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.063
8	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० घुघली	वार्ड नं० 10 में डा० पवन रूग्ता के घर के पीछे से हीरालाल के घर से किशुन गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.824
9	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० घुघली	वार्ड नं० 01 मोहल्ला चैनपुर में कबूतरी के घर से रेलवे पटरी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.384
10	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० आनन्द नगर	वार्ड नं० 07 में श्री मिलन चाय की दुकार से एचडीएफसी बैंक तक इण्टरलाकिंग रोड व स्लैब का निर्माण कार्य।	21.437
11	महराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० आनन्द नगर	वार्ड नं० 07 में एलआईसी बिल्डिंग से श्री मोललू की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	21.033



922

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किरत)
12	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर में श्री रामप्रकाश सिंह के घर के पीछे होते हुए नहर के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.425
13	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर सीमा से श्री हजारी प्रसाद जायसवाल के बागीचा होते हुए पी०डब्ल्यू०डी० रोड मण्डी समिति तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	17.238
14	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर में श्री माता प्रसाद सहानी के घर से स्वामी विवेकानन्द स्कूल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.653
15	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 03 में श्री राजेश गुप्ता के मकान से श्री महेश अग्रहरी के घर तक दोनों तरफ नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.081
16	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 09 में श्री सर्वजीत के घर से रतनटीका मैरेज हाल के बाउण्ड्रीवाली तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.883
17	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 03 में श्री महेश अग्रहरी के मकान से श्री राधेश्याम जी के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.743
18	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर में श्री दिनेश मिश्रा के मकान से होते हुए मुस्कान अगरबत्ती उद्योग के घर होते हुए श्री आद्या प्रसाद के घर तक दोनों तरफ नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.304
19	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर में श्री रामसनेही के मकान के सामने से श्री उमाशंकर शुक्ल के मकान तक दोनों तरफ नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.770
20	महाराजगंज	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं0 आनन्दनगर	वार्ड नं० 09 में श्री दयालु यादव के मकान से श्री रामप्यारे के स्कूल होते हुए मेन रोड बाईपास तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	36.020
21	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 12 मो० सिद्धार्थनगर में राजेश वरुण के घर से रियाज अहमद की जमीन तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	39.294
22	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 12 मो० सिद्धार्थनगर में शहजाद के मकान से पूर्णमासी हरिजन के जमीन तक दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.622
23	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 02 मो० विस्मिल नगर में श्री चून्नु के मकान से श्री रामेश्वर की दुकान तक मय गलियों सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	30.846
24	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 08 मो० मधुबन नगर में श्री मसूर अली के मकान से श्री विश्वनाथ के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	24.925
25	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 08 मो० मधुबन नगर में श्री कमरुद्दीन के मकान से श्री जूमाती देवी के घर के सामने तक इण्टरलाकिंग एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	21.206
26	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 नौतनवां	वार्ड नं० 11 आजाद नगर में श्री इस्तखार के मकान से श्री इस्तहाक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.833



92/3

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
27	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 11 मो० आजाद नगर में श्री विभूति कन्नौजिया के घर से श्री अब्दुलक क्यूम के घर होते हुए श्री सदरे आलम श्री आलम, श्री वाजीद अली लेखपाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.531
28	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 11 मो० आजाद नगर में श्री जगदीश के मकान से श्री ध्रुव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.490
29	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 13 महेन्द्र नगर में बैंक आफ बड़ौदा से गरीब नवाज मस्जिद तक दोनों तरफ इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.257
30	महाराजगंज	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० नौतनवां	वार्ड नं० 12 सिद्धार्थनगर में मेन रोड़ से रियाज अहमद के मकान होते हुये बृजेश के मकान तक दोनों तरफ इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.505
	योग				508.336

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

[Handwritten signature]



92/4

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक